



कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) ने गाँवों में विद्युतीकरण की गति तीव्र करने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई) को आरंभ (मार्च 2005) किया। एम.ओ.पी. ने तत्पश्चात्, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के सभी विद्यमान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों का आर.जी.जी.वी.वाई. के साथ समावेश कर दिया। आर.जी.जी.वी.वाई के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

- सभी गाँवों और बस्तियों का विद्युतीकरण,
- सभी घरों को बिजली उपलब्ध करवाना,
- गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों को निःशुल्क बिजली का कनैक्शन देना,
- सिंचाई, लघु उद्योगों, कोल्ड चेन्स, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के द्वारा गरीबी उन्मूलन, रोज़गार सृजन एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना,
- शहरी—ग्रामीण दूरी को खत्म करना और ग्रामीण क्षेत्रों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना।

इस योजना का आरंभ राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के वायदों को पूरा करने के लिए किया गया जिसके अनुसार पाँच वर्षों में अर्थात् 2009 तक सभी घरों में विद्युतीकरण पूरा होना था। 2009 तक, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 1,25,000 बिना बिजली वाले गाँवों और 7.8 करोड़ ग्रामीण घरों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, जिसमें 2.34 करोड़ बी.पी.एल. घरों को निःशुल्क बिजली का कनैक्शन भी सम्मिलित है।

जी.ओ.आई. स्तर पर, एम.ओ.पी. सर्वोपरि प्राधिकरण है जो इस योजना के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) इस योजना की नोडल एजेंसी है जो इसके सम्पूर्ण कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है जिसमें परियोजना संवीक्षा और आंकलन, समन्वय, निगरानी और निधियों को जारी करना शामिल है। आगे, इस योजना का कार्यान्वयन, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पी.आई.ए.) अर्थात् स्टेट पावर यूटिलिटिज़ (एस.पी.यू.)/विद्युत वितरण कम्पनियों, राज्य विद्युत बोर्डों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) के द्वारा किया जाना था।

आर.जी.जी.वी.वाई का आरंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के अंत में किया गया था जिसकी निरंतरता 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) तक अपेक्षित थी। 10वीं योजना के दौरान, ₹ 9,733.35 करोड़ मूल्य की 235 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संस्थीकृतियाँ प्रदान की गई जबकि 11वीं योजना में ₹ 16,694.43 करोड़ मूल्य की 341 परियोजनाएँ संस्थीकृत की गई।

आर.जी.जी.वी.वाई की निष्पादन लेखापरीक्षा 27 राज्यों में की गई। 10वीं और 11वीं योजनाओं के दौरान कार्यान्वित 576 परियोजनाओं में से, 169 परियोजनाओं जो 2004–05 से 2011–12 की अवधि से संबंधित थीं, का जाँच परीक्षण किया गया। एम.ओ.पी., आर.ई.सी., राज्य सरकारों, सी.पी.एस.ई. एवं जिलों

में अभिलेखों की संवीक्षा की गई, इसके अलावा गाँवों और बी.पी.एल. लाभार्थियों का भी एक सीमित सर्वेक्षण किया गया।

मुख्य बातें

योजना का सूत्रीकरण (अध्याय 3 और 5)

(i) उन आँकड़ों में असंगतियाँ थीं जो एम.ओ.पी. द्वारा प्रक्षेपित अविद्युतीकृत और विद्युतीकृत गाँवों के लक्ष्यों का आधार थे। विद्युतीकृत और अविद्युतीकृत दोनों गाँवों की कवरेज में महत्वपूर्ण बदलाव आया था। इन आँकड़ों की अविश्वसनीयता एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि विभिन्न प्रस्तावों और आर.ई.सी. के आँकड़ों में प्रदर्शित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाना कठिन था।

(पैरा 3.2)

(ii) ऊर्जा पर स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) की सिफारिशों के बावजूद भी जिसके अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण की अद्यतित सांख्यिकी राज्यों से प्राप्त करनी थी और अद्यतित सांख्यिकी के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में संशोधन करना था, एम.ओ.पी. ने योजना का आरम्भ करने से पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन नहीं करवाया था। सितम्बर 2008 तक भी एम.ओ.पी. के पास सभी राज्यों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं थी जिससे यह पता चलता है कि 10वीं और 11वीं योजनाओं में प्रयुक्त आँकड़ों का आधार मज़बूत नहीं था। यह सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं था कि एम.ओ.पी. ने पूर्व योजनाओं के प्रभाव और नतीजों पर विचार करते हुए विद्युतीकृत गाँवों, बी.पी.एल. घरों आदि की संख्या की पहचान की थी।

(पैरा 3.1, 3.2 और 3.3)

(iii) सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले लागत अनुमानों को वास्तविक रूप से तैयार करने की और अधिक संभावना थी जो एम.ओ.पी. के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित थी। नियोजन के समय अविद्युतीकृत गाँवों और बी.पी.एल. लाभार्थियों की पहचान और अनुमान में कमियों के कारण लागत अनुमानों में ₹ 2,262 करोड़ की भिन्नताएँ थी।

(पैरा 3.4)

(iv) डी.पी.आर. बनाने से पहले किसी भी पी.आई.ए ने सर्वेक्षण नहीं करवाया था। बी.पी.एल. घरों के आँकड़ों के लिए सात राज्यों में, पी.आई.ए. ने 2001 के बाद ग्रामीण जनसंख्या/बस्तियों/गाँवों में हुई वृद्धि को ध्यान में न रखते हुए 2001 की जनगणना के आँकड़ों का प्रयोग किया। शेष राज्यों में, पी.आई.ए. ने अन्य स्रोतों से बी.पी.एल. आँकड़े एकत्रित किए। आर.ई.सी. द्वारा 169 चुनी गई परियोजनाओं में से, 162 परियोजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा के लिए डी.पी.आर. प्रस्तुत की गई, परंतु आवश्यक सूचना/आँकड़े जैसे जिले में विद्युतीकरण की विद्यमान स्थिति, अनुमानित लागत, प्रत्येक वर्ष में होने वाले कार्य और परियोजना के निष्पादन हेतु पी.ई.आर.टी. चार्ट आदि डी.पी.आर. के साथ संलग्न नहीं थे। 577 डी.पी.आर.[†], में से, 519 डी.पी.आर. जो कुल डी.पी.आर.

* परियोजनाएँ जिनके संदर्भ में डी.पी.आर. प्रस्तुत नहीं की गई थीं: कौशाम्बी, जालौन, मिर्जापुर, पूर्वी सिविकम, सांगली, कृष्णागिरी और नागापट्टिनम् (सात परियोजनाएँ)

[†] कोकराझार परियोजना के लिए दो डी.पी.आर. थे।

का 90 प्रतिशत है, को संशोधित करना पड़ा (राशि के अनुसार संशोधन की प्रतिशतता (-) 61.49 प्रतिशत और (+) 269.29 प्रतिशत थी)।

(पैरा 3.7, 5.2 और 5.3)

- (v) आर.जी.जी.वी.वार्ड के अंतर्गत चार[‡] राज्यों में 109 परियोजनाओं[§] के डी.पी.आर. ₹ 6,266.71 करोड़ की प्रभावी संस्थीकृत लागत के साथ, 2004–05 के दौरान पहले की योजना (ए.ई.ओ.एल.वी.ओ.सी. एच*) के कार्य क्षेत्र के अनुसार तैयार किये गये। तथापि परियोजनाओं के डी.पी.आर. में आर.जी.जी.वी.वार्ड के कार्य क्षेत्र के अनुसार 2005–06 से लेकर 2011–12 के दौरान ₹ 8,312.38 करोड़ की लागत पर 109 परियोजनाओं में से 51 में अनुपूरक परियोजनाओं को संस्थीकृति देते हुए संशोधन की कार्यवाही करनी पड़ी।

(पैरा 5.1.1)

- (vi) एम.ओ.पी. द्वारा अगस्त 2006 में अधिसूचित ग्रामीण विद्युत (आर.ई.) नीति ने यह अनुबद्ध किया कि सभी राज्यों को फरवरी 2007 तक आर.ई. योजनाएं तैयार और अधिसूचित करनी हैं। किसी भी राज्य ने फरवरी 2007 तक आर.ई योजना को अधिसूचित नहीं किया। इसके बाद एम.ओ.पी ने 11वीं योजना में आर.जी.जी.वी.वार्ड को अनुमोदित (फरवरी 2008) करते हुए कहा कि राज्य अपनी आर.ई योजना को एम.ओ.पी. के साथ परामर्श करते हुए अंतिम रूप दें और उसे छह माह के भीतर अधिसूचित करें। 27 में से 25 राज्यों ने आर.ई. योजना को अगस्त 2013 तक अधिसूचित किया। इन राज्यों द्वारा अधिसूचना जारी करने में 3 महीने से 73 महीने का विलम्ब हुआ। शेष दो राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर और सिक्किम) ने अपनी आर.ई योजना को अधिसूचित नहीं किया (अगस्त 2013)।

(पैरा 3.6)

वित्तीय प्रबंधन (अध्याय 4)

- (vii) आर.ई.सी. के पास उपलब्ध 169 चयनित नमूना परियोजनाओं के संदर्भ में प्रदान की गई सूचना के विश्लेषण ने यह प्रकट किया कि आर.ई.सी द्वारा पी.आई.ए को निधियाँ जारी करने में अतिरिक्त समय लिया गया जो कि क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्तों के संदर्भ में 71 परियोजनाओं में 16 से 162 दिन, 64 परियोजनाओं में 16 से 182 दिन और 86 परियोजनाओं में 16 से 209 दिन था। विलम्ब के लिए पी.आई.ए और आर.ई.सी दोनों उत्तरदायी थे जिसने निष्पादन और परियोजना कार्यक्रम को प्रभावित किया।

(पैरा 4.2.1)

- (viii) सी.सी.ई.ए. द्वारा 10वीं योजना और 11वीं योजना के प्रथम दो वर्ष के लिए ₹ 33,000 करोड़ के कुल अनुमोदन के विरुद्ध 2004–12 के दौरान बजट आकलन और संशोधित आकलन के अनुसार क्रमशः ₹ 31,338.00 करोड़ और ₹ 27,488.56 करोड़ राशि की निधियों का आबंटन किया गया था।

[‡] बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

[§] 10वीं योजना—108 और 11वीं योजना—एक

^{**} एक लाख गाँवों और एक करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण

एम.ओ.पी. ने योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया और आर.ई.सी को मार्च 2012 तक ₹ 26,150.76 करोड़ जारी किए।

(पैरा 4.3.1)

- (ix) एम.ओ.पी. द्वारा आर.ई.सी. को जारी ₹ 26,150.76 करोड़ के विरुद्ध, आर.ई.सी. ने पी.आई.ए. को मार्च 2012 तक ₹ 25,652.37 करोड़ जारी किए और पी.आई.ए. ने ₹ 22,510.14 करोड़ (20 मई 2012) का उपयोग सूचित किया। आर.ई.सी द्वारा पी.आई.ए को जारी की गई निधियों की स्थिति और फरवरी 2013 तक पी.आई.ए द्वारा उपयोग राशि क्रमशः ₹ 26,034.65 करोड़ और ₹ 24,547.58 करोड़ थी। पी.आई.ए के पास 19 राज्यों में अप्रयुक्त रह गए ₹ 1.47 करोड़ से ₹ 375.07 करोड़ तक शेष थे जबकि पी.आई.ए ने आठ राज्यों में ₹ 3.64 करोड़ से ₹ 115.13 करोड़ तक के अधिक उपयोग को प्रतिवेदित किया। अतः भारी मात्रा में अप्रयुक्त निधियाँ पी.आई.ए. के पास शेष रहीं, पी.आई.ए. द्वारा इन अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 337 करोड़ की राशि को अगस्त 2013 तक सरकारी खाते में नहीं भेजा गया और इस प्रकार इसने आर.जी.जी.वी.वाई. के कार्य को आगे नहीं बढ़ाया।

(पैरा 1.5, 4.3.2 और 4.5)

- (x) आर.ई.सी. ने निधियों को जारी करने की शर्तों को अनुमोदित आर.जी.जी.वी.वाई परियोजनाओं के अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों^{††} की उपलब्धियों के साथ नहीं जोड़ा। जिसके कारण जम्मू कश्मीर और मिज़ोरम में, परियोजना लागत का 67 प्रतिशत से 70 प्रतिशत पी.आई.ए./ठेकेदारों को जारी करना पड़ा जबकि जारी की गई निधियों की अपेक्षा भौतिक उपलब्धि कम थी।

(पैरा 4.3.2)

- (xi) चार राज्यों में, पी.आई.ए. ने अलग ब्याज धारक बैंक खाते के अनुरक्षण में अनियमितताएँ की जिससे ₹ 7.10 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। दो राज्यों में, पी.आई.ए. ने आर.जी.जी.वी.वाई. निधियों पर अर्जित ₹ 49.83 करोड़ के ब्याज को अपनी आय माना जो कि अनुमत नहीं था।

(पैरा 4.4)

- (xii) गैर-आर.जी.जी.वी.वाई. उद्देश्यों के लिए ₹ 157.78 करोड़ की निधियों के विपथन के उदाहरण थे क्योंकि आर.जी.जी.वी.वाई. निधियों को स्टेट पावर यूटिलिटिज़ (एस.पी.यू.) की साधारण निधियों के साथ मिला दिया गया था।

(पैरा 4.7)

परियोजनाओं का क्रियान्वयन (अध्याय 5 और 7)

- (xiii) माईलस्टोन आधारित परियोजना निगरानी तंत्र ने निर्दिष्ट किया कि परियोजना स्वीकृति के तीन महीने के अंदर परियोजना सौंपी जानी थी। तथापि, 576 परियोजनाओं में से 425 में, परियोजना सौंपने में तीन महीने से अधिक का समय लगा। दो परियोजनाओं में अधिकतम विलम्ब 46 महीने

^{††} वित्त मंत्रालय ने दिसंबर 2007 में, निधियों के व्यय के साथ भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि को जोड़ने पर भी बल दिया ताकि योजना के प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके।

(अर्थात् 3 साल और 281 दिन)‡‡ तक था। विलम्ब के कारण परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि हो गई। केवल पाँच राज्यों के जाँच परीक्षित मामलों में ही लागत में ₹ 696 करोड़ की वृद्धि पायी गयी।

(पैरा 5.5.2)

(xiv) ठेके प्रदान करने में अनुचित पक्षपात और नियमों व प्रक्रियाओं के उल्लंघन के मामले थे। जाँच परीक्षित मामलों में पाया गया कि दो राज्यों में कुल ₹ 548.61 करोड़ मूल्य की 29 परियोजनाएँ अयोग्य ठेकेदारों को सौंप दी गयी। इसके पश्चात्, उच्चतर दरों की अनुमति, करों की कटौती न करना इत्यादि के चलते ठेकेदारों को ₹ 114.40 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया जिसके कारण भी परियोजना लागतों में उतनी ही मात्रा की परिहार्य वृद्धि हुई।

(पैरा 5.6 व 5.9)

(xv) पी.आई.ए. द्वारा जारी किए गए मोबिलाइज़ेशन एडवांस देने में सी.वी.सी. अथवा आर.ई.सी. के मार्गदर्शक निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप, आठ राज्यों में 3 महीने से 42 महीने की अवधि के लिए ₹ 103.57 करोड़ राशि की निधियों का अवरोधन पाया गया। तीन राज्यों में, ₹ 29.61 करोड़ से अधिक का मोबिलाइज़ेशन एडवांस तय नियमों/ठेके की शर्तों से अधिक दिया गया। 11 राज्यों^{§§} में, 57 जाँच परीक्षित परियोजनाओं के संदर्भ में ₹ 450 करोड़ से अधिक के ब्याज रहित मोबिलाइज़ेशन एडवांस ठेकेदारों को देने के कारण राज्यों को ₹ 58.33 करोड़ की वित्तीय हानि को वहन करना पड़ा। कार्रवाई वित्तीय संदर्भ में ठीक नहीं थी। योजना के लिए पी.आई.ए., आर.ई.सी. से प्राप्त ऋणों पर 10–12 प्रतिशत की दर से ब्याज दे रहे थे जबकि ठेकेदारों को दिये गये अग्रिम ब्याज रहित थे।

(पैरा 5.7)

(xvi) 14 राज्यों में, ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं को समय से पूरा करने में देरी करने के बावजूद ₹ 166.40 करोड़ मूल्य की हानि की क्षतिपूर्ति नहीं वसूली गई।

(पैरा 5.5.3)

(xvii) अयोग्य कार्यों, नहीं किये गये कार्यों के लिए भुगतान या अनिर्मित परिसम्पत्तियों एवं उपयोग में न लायी गयी परिसम्पत्तियों पर हुए निष्फल व्यय पर ₹ 41.42 करोड़ का व्यय हुआ।

(पैरा 5.8)

(xviii) आर.जी.जी.वी.वाई ने 2010 तक सभी गाँवों या घरों को विद्युतीकृत करने के अपने लक्ष्य को 24 महीने के विलम्ब के पश्चात् भी (मार्च 2012 तक) प्राप्त नहीं किया। मार्च 2010 तक अविद्युतीकृत गाँवों, ग्रामीण और बी.पी.एल. घरों के विद्युतीकरण के संबंध में क्रमशः 63, 27 और 44 प्रतिशत की लक्ष्य प्राप्ति हुई थी। 10वीं योजना की परियोजनाओं के लिए भी अभी तक

‡‡ पश्चिम बंगाल में माल्दा एवं 24 परगना

§§ अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैण्ड, सिविकम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल

100 प्रतिशत ऊर्जाकरण प्राप्त नहीं किया जा सका था, जबकि योजना के समापन के पश्चात् भी पाँच वर्ष बीत चुके थे।

(पैरा 7.1 व 7.4)

(xix) आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजनाओं की राजस्व की स्थिरता बनाये रखने के लिए फ्रेन्चाइजी की नियुक्ति अनिवार्य थी, फिर भी 31 मार्च 2012 तक, 17 राज्यों में 3,53,049 गाँवों में से 1,75,655 गाँवों में केवल 37,614 फ्रेन्चाइजी नियुक्त किए गए थे। इसका अर्थ था कि लगभग आधे गाँवों (49.75 प्रतिशत) में ही फ्रेन्चाइजी नियुक्त हुए थे। दस राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम और तमिलनाडू में कोई फ्रेन्चाइजी नियुक्त नहीं हुए थे।

(पैरा 7.5.4)

निगरानी (अध्याय 6)

(xx) निगरानी पर्याप्त नहीं थी और सभी तीनों चरणों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में कमियाँ पायी गयी। प्रथम चरण में, आवृत्ति, गुणवत्ता और तृतीय पक्ष जाँच एजेंसियों द्वारा की गई जाँच में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्यवाही करने में कमियाँ पाई गई।

(पैरा 6.2. और 6.2.1)

(xxi) नौ राज्यों में जाँच परीक्षित परियोजनाओं में द्वितीय चरण निगरानी में प्रथम स्तरीय जाँच बिल्कुल नहीं/आंशिक रूप से की गई। इसके साथ-साथ, 20 राज्यों में, द्वितीय चरण निगरानी में द्वितीय स्तरीय जाँच या तो बिल्कुल हुई ही नहीं/आंशिक हुई। द्वितीय चरण के निगरानी के लिए नियुक्त आर.ई.सी. गुणवत्ता निगरानी कर्त्ताओं (आर.क्यू.एम.एस.) ने 11वीं योजना की 98 जाँच परीक्षित परियोजनाओं में से 28 में कमियाँ बताई। 30 सितम्बर 2012 तक 28 जाँच परीक्षित परियोजनाओं में से 21 में आर.क्यू.एम. द्वारा बताई गयी त्रुटियों को पी.आई.ए. द्वारा ठीक नहीं किया गया था।

(पैरा 6.2.2)

(xxii) जुलाई 2010 तक एम.ओ.पी. ने तृतीय चरण निगरानी के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की थी। एम.ओ.पी. ने अपनी जिम्मेदारी (अगस्त 2010) यह कह कर आर.ई.सी. पर डाल दी कि राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकों (एन.क्यू.एम.) की नियुक्ति की जिम्मेदारी आर.ई.सी. की थी। गुणवत्ता निगरानी (आर.क्यू.एम. और एन.क्यू.एम.) की दोनों स्तरों पर स्वतंत्रता तब बेहतर रूप से प्राप्त होती यदि यह एक ही एजेंसी आर.ई.सी. द्वारा नहीं की जाती।

(पैरा 6.2.3)

मुख्य सिफारिशें

- ✓ 12वीं योजना में नयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्व एम.ओ.पी. एक स्वतंत्र सर्वेक्षण कराने पर विचार करे और आवृत्ति से बचने के लिए चिन्हित ग्रामों की सूची व लाभार्थियों के अनुमानों को संशोधित करे तथा राज्यों के साथ गहन समन्वय कर यह सुनिश्चित करे कि योजना के लाभ अभीष्ट एवं लक्षित लाभार्थियों को पहुँचें।
- ✓ एम.ओ.पी. को चाहिए कि निगरानी प्रतिवेदनों के यथोचित प्रारूपों को बनाकर, आर.ई.सी. द्वारा कार्य के क्षेत्र एवं संबंधित अनुमानों पर और अधिक नियंत्रण बरते जिससे यह सुनिश्चित हो कि परियोजनाएं संरचीकृति के लिए तभी ली जाएं जब पी.आई.ए. विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित डी.पी.आर. प्रस्तुत कर दें और भौतिक एवं वित्तीय अनुमान तार्किक रूप से सही हों।
- ✓ एम.ओ.पी. सभी स्तरों (एम.ओ.पी., आर.ई.सी. व पी.आई.ए.) पर एक लेखा प्रणाली को गठित करने पर विचार करे जो निधियों के वास्तविक निर्गम और प्राप्तियों तथा अप्रयुक्त शेषों पर अर्जित ब्याज की समयोचित निगरानी को सुनिश्चित करे।
- ✓ एम.ओ.पी. व नोडल एजेंसी, आर.ई.सी. को पी.आई.ए. द्वारा बैंकों में रखी गयी पूँजीगत सब्सिडी और आर.जी.जी.वी.वाई निधियों पर, जो परियोजना लागतों के लिए राज्य/स्थानीय करों के भुगतान के लिए प्रयोग की गयी थी पर अर्जित ब्याज को वसूलने/समायोजित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।
- ✓ एम.ओ.पी., राज्यों के साथ गहन समन्वय में प्रत्येक महत्वपूर्ण स्तर पर कार्य की प्रगति जाँचने के लिए एकरूप/मानक व्यवस्था के गठन पर विचार करे, जिससे कि ठेका प्रबंधन में होने वाली आम एवं परिहार्य अनियमितताओं/कमियों जैसे कि सांविधिक देनदारियों की कटौती न करना, हानि क्षतिपूर्तियों की वसूली न होना एवं ठेकेदारों को किये गए अधिक भुगतानों को रोका जा सके।
- ✓ एम.ओ.पी. द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की बैठकों के समीक्षा परिणामों को नियमित रूप से एक निश्चित तिथि तक राज्यों के मुख्य सचिवों से माँगा जाए। त्रुटियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाये जिससे कि क्रियान्वयन की प्रभावशीलता को बढ़ाने व परिणामों को प्राप्त करने के मायनों में यह प्रयास अपेक्षित परिणाम दे।
- ✓ एम.ओ.पी. वर्तमान प्रणाली की गहन समीक्षा करे एवं गुणवत्ता की प्राप्ति एवं ऊर्जा की आपूर्ति में विश्वसनीयता एवं राजस्व की प्राप्ति को विशेष रूप से लक्षित कर हुए उन राज्यों पर विशेष बल देते हुए अतिरिक्त बचावों की स्थापना करे जहाँ लक्ष्य प्राप्त किये जाने बाकी थे।

मंत्रालय द्वारा की गयी सुधारात्मक कार्यवाही

एम.ओ.पी. को जारी किये गये मसौदा निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के पश्चात्, सचिव (विद्युत), ने 2 सितम्बर 2013 को हुई एक्ज़िट कान्फ्रेंस में लेखा परीक्षा टिप्पणियों को संज्ञान में लेते हुए कहा कि आर.जी.जी.वी.वाई को 12वीं योजना में जारी रखने के लिए मार्गदर्शिका बनाते समय इंगित किये गये सभी मुख्य मुद्दों को ध्यान में रखा गया है।

जबकि एम.ओ.पी. द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही प्रशंसनीय है, दिशानिर्देशों एवं प्रक्रियाओं में सुधार एवं शुद्धिकरण की संभावना है, जैसाकि प्रतिवेदन में रेखांकित किया गया है।

